

आदेश - पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1943 का नियम 129)

आदेश पत्रक ता० से

जिला - बोकारो केस सं० 144/2015-16

केस का प्रकार :- नामांतरण

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदा० का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

01/07/2015


श्री महेन्द्र किशोर स्वामी
 पिता/पति श्री देवी स्वामी
 साकिम विरजी थाना खुवाडी
 जिला-बोकारो ने निम्नांकित भूमि का दा० खा० हेतु आवेदन पत्र दिया है जो श्री सन्तोषेश्वर सिंह
पिता स्व. श्याम गोविन्द शरण सिंह
 सा० विरजी
 जिला-बोकारो के केवाला संख्या 2273
 दिनांक 21-06-2000 द्वारा मो० 11,000/-
 रुपये में क्रय किया है।

जमीन का विवरण :-

ग्राम	खाता न०	प्लॉट न०	रकबा	माल
<u>विरजी</u>	<u>01</u>	<u>2216</u>	<u>118</u>	<u>10 वर्ष</u>
<u>78</u>				

1415
 7132-5
 माल
 (1404)

मूल आवेदन ह० कर्म० की जाँच हेतु दे। उन्हें आदेश दिया जाता है कि जाँच प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर अंचल निरीक्षक के माध्यम से दे। साथ ही आम ईस्तेहार निर्गत कर आपत्ति आमंत्रण करें। अभिलेख दिनांक 15/07/2015 की उपस्थित करें।


 अंचल अधिकारी
खुवाडी

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदा० का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई चार्जवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

15/07/2015

अभिलेख उपस्थापित किया गया। आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त.....निर्धारित तिथि तक किसी ने आपत्ति पत्र नहीं दिया है ह० कर्म/अ० नि० का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसका आवलोकन किया तथा पाया कि वर्णित भूमि का पंजी 2 के पृष्ठ सं०.....111.....भोलूम सं० V.....में बिक्रेता के पिता.....

नाम से रसीद निर्गत होती है! बिक्रेता ने अपने हिस्से की जमीन बिक्री किया है, जो क्रेता के दखल कब्जा में है। हल्का कर्मचारी/अ० नि० ने दा० खारिज करने का अनुशंसा किया है।

अतः ह० कर्म/अ० नि० के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित वर्णित भूमि का दखिल खारिज क्रेता के नाम से.....हार्ड..... किया जाता है।

ग्राम	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा	माल
<u>विश्वी</u> <u>78</u>	<u>01</u>	<u>2216</u>	<u>11 बी.</u>	<u>1.00</u>

तदनुसार शुद्धि पत्र निर्गत करें।

लेखापति

अ. 15/7/15
अंचल अधिकारी
ज. 15/7/15

अ. 15/7/15
अंचल अधिकारी
ज. 15/7/15

पुनश्च: शुद्धि पत्र हस्ताक्षर किया गया। दो प्रति हल्का कर्मचारी अनुपालन हेतु दें।

अ. 15/7/15
अंचल अधिकारी
ज. 15/7/15

Beachy

नामान्तरण (दाखिल-खारिज) के आवेदन पत्र

हल्का कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन
नामान्तरण (दाखिल-खारिज) केस नं० 144/2015-16

गाँव - किरनी थाना - नावडी थाना नं० - 78 जिला - बोकारो

1) लेख्य का प्रकार :- 1) बिक्री 2) दान 3) बँटवारा 4) उत्तराधिकारी।

2) पूर्णतः या अंशतः बिक्री द्वारा अंतरित क्षेत्र का रकवा 0.1131 एकड़।

केवाला संख्या 2273 दिनांक 21-06-2017 मूल्य 11000

नामान्तरण (दाखिल - खारिज) के पहले मूल होलिंग

खाता न०	जमाबंदी रैयत का नाम	प्लॉट न०	रकवा	लगान	अभ्युक्ति
01	श्री गोकुल शरण सिंह पिता जग मोहन सिंह	2216	14.848 0.32 <u>14.848</u>	6849	पत्नी गोकुल सिंह 111 (V) प्रतिवेदि भूमि रैयती मारे की उत्तराधिकारी श्रीद विक्रम के पिता के नाम निधि डोगी है।

नामान्तरण (दाखिल - खारिज) के पहले मूल होलिंग

01	श्री गोकुल	2216	14.848 <u>14.848</u>	6749	विक्रम के पिता की मूल उपरान्त उक्त रकवा वही भूमि विक्री की है। किसी द्वारा करा है यह भूमि कत, रैयत, उत्तरी, भूतल एवं वा. के सुनकर नहीं पड़ा है यस हा शा. खा. वि. किसी जासकर है।
----	------------	------	------------------------------------	------	---

नया होलिंग

01	श्री अशोक कुमार शर्मा पिता श्री शर्मा शा. किरनी	2216	0.1131	पूरा 1000	दोस भाग खरीद कर जासकर है। V.O.S 15/7/15 A.A
----	---	------	--------	--------------	---

हल्का कर्मचारी का हस्ताक्षर
हल्का नं० 511